NEXT IAS

भारतीय समाज

सिविल सेवा परीक्षा 2027

MADE EASY PUBLICATIONS
द्वारा प्रकाशित

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट कार्यालय: 44-A/4, कालू सराय
(हौज़ ख़ास मेट्रो स्टेशन के निकट), नई दिल्ली-110016
संपर्क सूत्र: 011-45124660, 8860378007
ई-मेल करें: infomep@madeeasy.in
विजिट करें: www.madeeasypublications.org

भारतीय समाज

© कॉपीराइट: Made Easy Publications Pvt. Ltd.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, पुनर्मुद्रण, प्रस्तुतीकरण और किसी ऐसे यंत्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती हो अथवा इसका स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण: 2024

द्वितीय संस्करण: 2025

तृतीय संस्करण: 2026

विषयसूची

भारतीय समाज

अध्याय 1

भारतीय समाजः एक अवलोकन
(Indian Society : An Overview) 2

1.1 परिचय (Introduction) 2
1.2 भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of Indian Society) 2
- 1.2.1 जाति व्यवस्था (Caste System) 3
- 1.2.2 धार्मिक विविधता (Religious Diversity) 7
- 1.2.3 भाषायी विविधता (Linguistic Diversity) 7
- 1.2.4 नृजातीय और नस्लीय विविधता (Ethnic and Racial Diversity) 7
- 1.2.5 रूढ़िवादिता/अंधविश्वास (Orthodoxy/Superstition) 8
- 1.2.6 संक्रमणकालीन समाज (Transitional Society) 9
- 1.2.7 परिवार और संबंधी (Family and Kinship) 9
- 1.2.8 आदिवासी समाज 11
- 1.2.9 कला एवं संस्कृति (Art and Culture) 11
- 1.2.10 एक इकाई के रूप में भौगोलिक विविधता (Geography as a Unit of Diversity) 12
- 1.2.11 दार्शनिक/वैचारिक विविधता (Philosophical/Ideological Diversity) 12
- 1.2.12 सहिष्णुता, प्रेम और करुणा (Tolerance, Love and Compassion) 12
- 1.2.13 परस्पर निर्भरता (Interdependence) 13

1.3 अनेकता में एकता (Unity in Diversity) 13
- 1.3.1 भौगोलिक विविधता एवं एकता (Geographical Diversity and Unity) 13
- 1.3.2 वैचारिक विविधता एवं एकता (Ideological Diversity and Unity) 13
- 1.3.3 धार्मिक विविधता और एकता (Religious Diversity and Unity) 14
- 1.3.4 भाषायी विविधता और एकता (Linguistic Diversity and Unity) 14
- 1.3.5 राजनीतिक विविधता और एकता (Political Diversity and Unity) 15

1.4 निष्कर्ष (Conclusion) 15

अध्याय 2

भारतीय समाज में लैंगिक प्रस्थिति
(Gender in Indian Society) 17

2.1 परिचय (Introduction) 17
2.2 सुधार आंदोलनः एक ऐतिहासिक विवरण (Reform Movements: A Historical Account) 17
- 2.2.1 स्वतंत्रता पूर्व (Pre-Independence) 17
- 2.2.2 स्वतंत्रता के पश्चात् (Post-Independence) 18

2.3 महिलाओं की भूमिका (Role of Women) 20
- 2.3.1 परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका (Role of Women in Family and Society) 20
- 2.3.2 राजनीति में महिलाओं की भूमिका (Role of Women in Polity) 20
- 2.3.3 अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका (Role of Women in Economy) 21
- 2.3.4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका (Role of Women in Science and Technology) 22
- 2.3.5 पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका (Role of Women in Environment Preservation) 22

2.4 कार्य में भागीदारीः एक समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य (Participation in Work: A Critical Perspective) 23
- 2.4.1 निम्न श्रम बल भागीदारी दर (Low Labour Force Participation Rate) 23
- 2.4.2 वेतन असमानता (Wage Disparity) 24

2.5 महिलाओं से संबंधित मुद्दे (Issues Concerning Women) 24
- 2.5.1 कन्या भ्रूणहत्या और शिशुहत्या (Female Foeticide and Infanticide) 24
- 2.5.2 बाल विवाह (Child Marriage) 25
- 2.5.3 घरेलू हिंसा और दहेज से होने वाली मौतें (Domestic Violence and Dowry Deaths) 25
- 2.5.4 यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) 25
- 2.5.5 साइबर अपराध (Cybercrime) 26
- 2.5.6 उपभोक्ताकरण और वस्तुकरण (Commodification and Objectification) 26
- 2.5.7 वेश्यावृत्ति (Prostitution) 27

2.5.8 ऑनर किलिंग (Honour Killing) ... 27
2.5.9 लिंग भेदभाव (Gender Discrimination) ... 27
2.5.10 गरीबी का महिलाकरण (Feminisation of Poverty) ... 28
2.5.11 कृषि का महिलाकरण (Feminisation of Agriculture) ... 29
2.5.12 तीन तलाक मुद्दा (Triple Talaq Issue) ... 29
2.5.13 मंदिर प्रवेश मुद्दा (Temple Entry Issue) ... 29
2.6 महिला सशक्तीकरण के लिए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान (Constitutional and Statutory Provisions for Women Empowerment) ... 30
2.6.1 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions) ... 30
2.6.2 वैधानिक प्रावधान (Statutory Provisions) ... 30
2.7 संस्थाएँ (Institutions) ... 32
2.8 महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति (National Policy for Women) ... 32
2.8.1 तर्क (Rationale) ... 32
2.8.2 प्राथमिकता वाले क्षेत्र (Priority Areas) ... 33
2.8.3 कार्यान्वयन ... 34
2.9 महिला विकास (Women Development) ... 34
2.9.1 विकास में महिलाएँ (Women in Development) ... 34
2.9.2 महिला एवं विकास (Women and Development) ... 34
2.9.3 लिंग एवं विकास (Gender and Development) ... 35
2.10 लिंग और लैंगिकता (Sex and Gender) ... 35
2.11 महिलाओं के पक्ष-समर्थन में विश्व (Global Advocacy for Women) ... 35
2.12 एमडीजी और एसडीजी: महिलाओं के लिए लक्ष्य (MDG and SDG: Goals for Women) ... 36
2.12.1 स्वास्थ्य (Health) ... 36
2.12.2 साक्षरता (Literacy) ... 37
2.13 महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएँ (Government Schemes for Women) ... 37
2.13.1 जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting) ... 37
2.13.2 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao) ... 37
2.13.3 सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) ... 37
2.13.4 जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana) ... 37
2.13.5 उज्ज्वला (Ujjwala) ... 37
2.13.6 किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गाँधी योजना (Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls) ... 37
2.13.7 स्वाधार गृह (Swadhar Greh) ... 38
2.13.8 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोज़गार कार्यक्रम को सहायता (STEP) ... 38
2.13.9 महिला शक्ति केंद्र (Mahila Shakti Kendras) ... 38
2.13.10 महिला पुलिस स्वयंसेवक (Mahila Police Volunteer) ... 38
2.13.11 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) ... 38
2.13.12 जेंडर चैंपियंस योजना (Gender Champions Scheme) ... 38
2.13.13 महिला ई-हाट (Mahila E-haat) ... 38
2.13.14 स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India) ... 38
2.13.15 सरकारी पहलों का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of Government Initiatives) ... 38
2.13.16 संभावित उपाय (Possible Remedies) ... 39
2.14 महिला संगठन (Women's Organization) ... 39
2.15 भारत में महिलाएँ और कोविड-19 (Women and COVID-19 in India) ... 40
2.16 ट्रांसजेंडर (Transgender) ... 40
2.16.1 परिचय (Introduction) ... 40
2.16.2 इतिहास (History) ... 41
2.16.3 क्रमिक विकास (Evolution) ... 41
2.16.4 वर्तमान काल (Contemporary Period) ... 42
2.16.5 ट्रांसजेंडर के समक्ष चुनौतियाँ और उसकी स्थिति (Challenges and Status of Transgender) ... 42
2.16.6 संभावित उपाय (Possible Remedies) ... 43
2.16.7 ट्रांसजेंडरों के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम (Steps by Government for Transgenders) 44
2.16.8 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 [Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019] ... 45

अध्याय 3

जनसंख्या और संबंधित मुद्दे (Population and Associated Issues) ... 46
3.1 परिचय (Introduction) ... 46
3.1.1 माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत (Malthusian Theory of Population Growth) 46
3.1.2 जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत (Theory of Demographic Transition) ... 46
3.2 भारत: जनसंख्या और गतिशीलता (India: Population and Dynamics) ... 48
3.2.1 आकार, वृद्धि, संरचना और वितरण (Size, Growth, Composition and Distribution) ... 48

3.2.2 भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना (Age Structure of the Indian Population) .. 49
3.2.3 जनसंख्या वृद्धि के घटक (Components of Population Growth) 49
3.2.4 भारत में प्रवास की प्रवृत्तियाँ (Trends of Migration in India) 50
3.2.5 उभरते सामाजिक मुद्दे.................................... 54
3.3 उच्च जनसंख्या के कारण (Causes of High Population) 57
3.4 जनसंख्या आधिक्य के प्रभाव (Effects of Overpopulation) 57
3.4.1 सामाजिक (Social) 57
3.4.2 आर्थिक (Economic) 58
3.4.3 राजनीतिक (Political) 58
3.4.4 पर्यावरण (Environmental).......................... 58
3.4.5 स्वास्थ्य (Health) 58
3.5 जनसांख्यिकी: लाभांश या आपदा (Demography: A Dividend or Disaster) 58
3.5.1 जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) 59
3.5.2 जनसांख्यिकीय आपदा (Demographic Disaster).......................... 59
3.6 जनसंख्या और निर्धनता (Population and Poverty).....60
3.7 जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) 60
3.7.1 जनसंख्या नीति (Population Policy) 60
3.7.2 परिवार नियोजन (Family Planning) 61
3.7.3 भारत में जनसंख्या नीति (Population Policy in India)...................... 61
3.7.4 परिवार नियोजन (Family Planning) के लिए सरकारी योजनाएँ.. 62
3.7.5 महिला सशक्तीकरण (Women Empowerment) 63
3.7.6 शिक्षा (Education).................................... 63
3.7.7 दत्तक ग्रहण (Adoption) 63
3.7.8 सामाजिक उपाय (Social Measures) 63
3.7.9 आर्थिक उपाय (Economic Measures) 64
3.8 निष्कर्ष (Conclusion)..64

अध्याय 4

गरीबी एवं विकास संबंधी मुद्दें (Poverty and Developmental Issues) 65
4.1 परिचय (Introduction) 65
4.2 भारत में गरीबी: एक ऐतिहासिक विवरण (Poverty in India: A Historical Account).............65
4.3 गरीबी के कारण (Causes of Poverty) 66
4.3.1 आर्थिक (Economic) 66
4.3.2 सामाजिक (Social) 66
4.3.3 प्रशासनिक (Administrative) 67
4.3.4 भौगोलिक (Geographical)......................... 67
4.4 निरपेक्ष बनाम सापेक्ष गरीबी (Absolute Vs Relative Poverty) 68
4.5 गरीबी मापन (Poverty Measurement).....................68
4.5.1 गरीबी आकलन समितियाँ (Poverty Measurement Committees) 68
4.6 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (Multidimensional Poverty Index) 70
4.7 गरीबी और उससे जुड़े मुद्दे (Poverty and Associated Issues)........................72
4.7.1 बेरोजगारी (Unemployment) 72
4.7.2 कुपोषण (Malnutrition) 72
4.7.3 स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं स्वच्छता तंत्र (Health, Hygiene and Sanitation)............. 72
4.7.4 निरक्षरता (Illiteracy).................................. 72
4.7.5 गरीबी का नारीकरण (Feminization of Poverty)......................... 72
4.7.6 अपराध एवं सामाजिक तनाव (Crime and Social Tension)..................... 72
4.7.7 बाल श्रम और आधुनिक दासता 73
4.7.8 निर्बल नागरिक समाज (Weak Civil Society) .. 73
4.8 शहरी और ग्रामीण गरीबी (Urban and Rural Poverty).................................73
4.9 वृद्धि और विकास (Growth and Development)........74
4.9.1 विकासोन्मुखी दृष्टिकोण (Growth Oriented Approach)................... 74
4.9.2 सामाजिक न्याय के साथ विकास (Growth with Social Justice).................... 74
4.9.3 समावेशी विकास (Inclusive Development) .. 74
4.9.4 सतत् विकास (Sustainable Development) .. 74
4.9.5 वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) 75
4.9.6 क्षमता उपागम (Capability Approach) 75
4.10 वैश्वीकरण और गरीबी: एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण (Globalization and Poverty: A Critical Perspective) 76
4.11 गरीबी की राजनीति: गरीबीवाद (Politics of Poverty: Povertarianism)...................76
4.12 गरीबी उन्मूलन हेतु सरकारी प्रयास (Government's Effort to Eradicate Poverty) 77

4.12.1 पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Year Plans) 77
4.12.2 राष्ट्रीयकरण (Nationalization) 77
4.12.3 बीस सूत्रीय कार्यक्रम (Twenty Points Program) 77
4.12.4 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (Poverty Alleviation Programs) 78
4.13 गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयास: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Government Efforts for Poverty Alleviation: A Critical Analysis) 87
4.14 गरीबी उन्मूलन (Eradication of Poverty) 87
4.14.1 जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण (Check on Population Growth) 87
4.14.2 प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन में वृद्धि (Increase in Per Capita Food Production) 87
4.14.3 कृषि एवं भूमि सुधार (Agriculture and Land Reform) 87
4.14.4 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि (Increase in Production of Essential Items) 88
4.14.5 शिक्षा (Education) 88
4.14.6 कौशल विकास (Skill Development) 88
4.14.7 आय असमानता की समस्या का हल (Tackle the Problem of Income Disparity) 88
4.14.8 महिला सशक्तीकरण (Women Empowerment) 88
4.14.9 काले धन की समस्या का हल (Tackle the Problem of Black Money) 88
4.14.10 विकेंद्रीकृत नियोजन और उसका क्रियान्वयन (Decentralized Planning and its Execution) 88
4.15 निष्कर्ष (Conclusion) 88

अध्याय 5

नगरीकरण (Urbanization) 90
5.1 परिचय (Introduction) 90
5.2 नगरीकरण क्या है? (What is Urbanization) 90
5.3 नगरीकरण द्वारा सामाजिक परिवर्तन का तंत्र (The Mechanism of Social Change by Urbanization) 91
5.4 भारत में नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव (Social Effects of Urbanization in India) 91
5.4.1 परिवार और नातेदारी/संबंध (Family and kinship) 91
5.4.2 नगरीकरण और जाति (Urbanisation and Caste) 92
5.4.3 नगरीकरण और महिलाएँ (Urbanization and Women) 92
5.4.4 नगरीकरण और प्रवासन (Urbanization and Migration) 93
5.4.5 नगरीकरण और स्वास्थ्य (Urbanization and Health) 94
5.4.6 नगरीकरण और पहचान (Urbanization and Identity) 94
5.4.7 नगरीकरण और पर्यावरण (Urbanization and Environment) 95
5.4.8 नगरीकरण और असमानता (Urbanization and Inequality) 95
5.4.9 नगरीकरण और अपराध (Urbanization and Crime) 95
5.5 अनियोजित नगरीकरण (Unplanned Urbanization) 95
5.5.1 मलिन बस्तियों का उदय (Rise of Slum Society) 95
5.6 आगे की राह (Way Forward) 96
5.7 शहरी क्षेत्र और कोविड महामारी (Urban Areas and Covid Pandemic) 96

अध्याय 6

वैश्वीकरण और भारतीय समाज (Globalisation and Indian Society) 97
6.1 परिचय (Introduction) 97
6.2 वैश्वीकरण: विभिन्न परिप्रेक्ष्य (Globalisation: Various Perspectives) 97
6.2.1 अतिवैश्विकतावादी परिप्रेक्ष्य/दृष्टिकोण (Hyperglobalist Perspective) 97
6.2.2 संशयात्मक परिप्रेक्ष्य (Skeptical Perspective) 97
6.2.3 परिवर्तनवादी परिप्रेक्ष्य (Transformationalists Perspective) 98
6.3 वैश्वीकरण के प्रभाव: भारत (Effects of Globalisation: India) 98
6.3.1 राजनीतिक (Political) 98
6.3.2 आर्थिक (Economic) 99
6.3.3 सामाजिक (Social) 99
6.4 संस्थाओं पर प्रभाव (Impact on Institutions) 99
6.4.1 वैश्वीकरण और विवाह (Globalization and Marriage) 99
6.4.2 वैश्वीकरण और परिवार (Globalization and Family) 100

6.4.3 वैश्वीकरण और जाति (Globalization and Caste) 101
6.4.4 वैश्वीकरण और धर्म (Globalization and Religion) 102
6.4.5 वैश्वीकरण और मीडिया (Globalization and Media) 102
6.4.6 वैश्वीकरण और राजव्यवस्था (Globalization and Polity) 104
6.4.7 वैश्वीकरण और विधिक व्यवस्था (Globalization and Legal System) 104
6.4.8 वैश्वीकरण और भारतीय मूल्य प्रणाली (Globalization and Indian Value System) 105
6.4.9 वैश्वीकरण और शिक्षा (Globalization and Education) 105
6.4.10 वैश्वीकरण और स्वास्थ्य (Globalization and Health) 105
6.4.11 वैश्वीकरण और पर्यावरण (Globalization and Environment) 106
6.4.12 वैश्वीकरण और कृषि (Globalization and Agriculture) 106
6.4.13 वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी (Globalisation and Technology) 107
6.4.14 वैश्वीकरण और बुनियादी ढाँचा (Globalisation and Infrastructure) 108
6.4.15 वैश्वीकरण और स्वैच्छिक संगठन (Globalisation and Voluntary Organization) 108
6.4.16 वैश्वीकरण और कॉरपोरेट क्षेत्र (Globalisation and Corporate Sector) 109
6.4.17 वैश्वीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (Globalisation and Public Sector Enterprise) 110
6.4.18 सामाजिक क्षेत्रों से पीछे हटती सरकार (Government Retreating from Social Sectors) 110
6.4.19 वैश्वीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र (Globalisation and Informal Sector) 111

6.5 विभिन्न सामाजिक वर्गों पर प्रभाव (Impact on Different Social Sections) 111
6.5.1 वैश्वीकरण और महिलाएँ (Globalisation and Women) 111
6.5.2 वैश्वीकरण और वृद्ध (Globalization and Ageing) 112
6.5.3 वैश्वीकरण और युवा (Globalisation and Youth) 113
6.5.4 वैश्वीकरण और बच्चे (Globalization and Children) 113
6.5.5 वैश्वीकरण और पहचान (Globalization and Identity) 114
6.5.6 वैश्वीकरण और जनजातीय (Globalisation and Tribals) 114
6.5.7 वैश्वीकरण और दलित (Globalisation and Dalits) 115
6.5.8 वैश्वीकरण और श्रमिक वर्ग (Globalisation and Labour Class) 115
6.5.9 वैश्वीकरण और ट्रांसजेंडर (Globalisation and Transgenders) 116
6.5.10 वैश्वीकरण और शरणार्थी (Globalisation and Refugees) 116
6.5.11 मध्यम वर्ग (Middle Class) 117
6.5.12 वैश्वीकरण और उद्यमिता (Globalisation and Entrepreneurship) 117
6.5.13 वैश्वीकरण और व्यापारिक वर्ग (Globalisation and Business Class) 118
6.5.14 वैश्वीकरण और नागरिक समाज (Globalisation and Civil Society) 118
6.5.15 वैश्वीकरण और किसान (Globalisation and Farmers) 119

6.6 संस्कृति का वैश्वीकरण (Globalisation of Culture) .. 119
6.6.1 परिचय (Introduction) 119
6.6.2 समरूपीकरण (Homogenization) 119
6.6.3 सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निवर्तन (Retreat of Cultural Nationalism) 121
6.6.4 स्वदेशी ज्ञान का व्यावसायीकरण (Commercialization of Indigenous Knowledge) 121
6.6.5 प्रवासन (Migration) 122
6.6.6 मैक्डोनाल्डीकरण (McDonaldization) 122
6.6.7 संकरण (Hybridization) 122

6.7 निष्कर्ष (Conclusion) 123

अध्याय 7

सांप्रदायिकता (Communalism) 124

7.1 परिचय (Introduction) 124
7.1.1 ऐतिहासिक विवरण (Historical Account) 124
7.1.2 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (Indian Freedom Struggle) 125

7.2 सांप्रदायिकता की निरंतरता के कारण (Reasons for Continuance of Communalism) ... 126
7.2.1 स्वतंत्रता के बाद के काल में सांप्रदायिकता (Communalism in the Post-Independence Period) 126

7.2.2 धर्म की राजनीति (Politics of Religion)....... 127
7.2.3 राज्य मशीनरी की विफलता (Failure of State Machinery) 127
7.2.4 आर्थिक कारक – सापेक्ष अभाव (Economic Factor – Relative Deprivation)127
7.2.5 वैश्विक प्रभाव (Global Effect).................. 128
7.2.6 बाह्य तत्त्व/कारक (External Elements)........ 128
7.2.7 समसामयिक सांप्रदायिकता (Contemporary Communalism).............. 128
7.3 धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता (Religiosity and Communalism)........................128
7.4 भारत में सांप्रदायिक दंगे (Communal Riots in India)................................129
7.5 सांप्रदायिकता को रोकने के लिए कदम (Steps to Curb Communalism) 129
7.5.1 विधान (Legislative)................................ 129
7.5.2 न्यायिक (Judicial) 130
7.5.3 मीडिया (Media) 130
7.5.4 नागरिक समाज (Civil Society) 131
7.5.5 सांप्रदायिकता को रोकने के अन्य उपाय (Other Measures to Curb Communalism)131
7.6 धार्मिक कट्टरवाद (Religious Fundamentalism).............................132
7.7 कट्टरवाद और सांप्रदायिकता: एक तुलना (Fundamentalism and Communalism- A Comparison Similarity) 132
7.8 निष्कर्ष (Conclusion)...132

अध्याय 8

क्षेत्रवाद (Regionalism)..134
8.1 परिचय (Introduction) 134
8.2 ऐतिहासिक विवरण (Historical Account) 135
8.3 क्षेत्रवाद के कारण (Causes of Regionalism)..........135
8.3.1 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक (Historical and Cultural)........................ 135
8.3.2 जनसांख्यिकीय (Demographic)................. 135
8.3.3 आर्थिक (Economic) 135
8.3.4 भाषा (Language) 136
8.3.5 भौगोलिक (Geographical)........................ 137
8.3.6 राजनीतिक (Political) 137
8.4 भारत में क्षेत्रवाद का प्रभाव (Impact of Regionalism in India) 138
8.5 एकता एवं क्षेत्रीय अखंडता बनाम क्षेत्रवाद (Unity and Territorial Integrity vs Regionalism)..................139
8.5.1 भाषायी राज्य और भारतीय एकता (Linguistic States and Indian Unity)....... 139
8.5.2 क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रवाद (Regionalism and Nationalism).............. 140
8.5.3 क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रीय राजनीति (Regionalism and National Politics) 140
8.5.4 क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (Regionalism and National Economy) 140
8.5.5 निजी नौकरियों में आरक्षण (Reservation in Private Jobs)................. 141
8.6 क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँग और राज्यों की राजनीति (Demand for Regional Autonomy and States Politics) 141
8.7 क्षेत्रवाद के समाधान के प्रयास (Efforts to Address Regionalism)......................142
8.7.1 संविधान की एकात्मक विशेषताएँ (Unitary Features of our Constitution) 142
8.7.2 राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) 142
8.7.3 संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची (Fifth and Sixth Schedule of the Constitution)... 142
8.7.4 विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा (Special State Category Status)............. 143
8.7.5 विशिष्ट क्षेत्रों के लिए रोज़गार में आरक्षण (Reservation in Employment for Specific Regions) 144
8.7.6 सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)144
8.8 निष्कर्ष (Conclusion)...144

अध्याय 9

धर्मनिरपेक्षता (Secularism)...146
9.1 परिचय (Introduction) 146
9.2 संवैधानिक अधिदेश (Constitutional Mandate)........146
9.3 सर्व धर्म समभाव (Sarva Dharma Sambhava).......147
9.4 धर्मनिरपेक्षता के प्रारूप (Models of Secularism) 148
9.4.1 धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी प्रारूप (Western Model of Secularism) 148
9.4.2 धर्मनिरपेक्षता का भारतीय प्रारूप (Indian Model of Secularism) 149
9.5 धर्मनिरपेक्षता में बाधाएँ (Hindrances to Secularism)..............................150
9.6 सरकारी प्रयास (Government Efforts) 151
9.6.1 अन्य संस्थागत उपाय (Other Institutional Measures) 151
9.7 निष्कर्ष (Conclusion)...151

अध्याय 10

सामाजिक सशक्तीकरण (Social Empowerment) 153

10.1 परिचय (Introduction) 153

10.1.1 सशक्तीकरण (Empowerment).................. 153

10.1.2 सामाजिक सशक्तीकरण (Social Empowerment).......................... 153

10.1.3 सामाजिक सशक्तीकरण के संकेतक (Indicators of Social Empowerment) 153

10.1.4 भारत में सामाजिक रूप से वंचित समूह (Socially Disadvantaged Group in India) 153

10.1.5 सामाजिक समावेशन (Social Inclusion)....... 155

10.2 सामाजिक भेदभाव और बहिष्करण (Social Discrimination and Exclusion) 155

10.2.1 सामाजिक विषमता (Social Inequality)........ 155

10.2.2 सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification) . 155

10.2.3 सामाजिक बहिष्करण (Social Exclusion) 155

10.3 भारत में सामाजिक बहिष्करण (Social Exclusion in India) 156

10.3.1 अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) 156

10.3.2 अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) 157

10.4 बहिष्करण का विरोधाभास (The Paradox of Exclusion) 157

10.5 उपाय (Measures)... 158

10.5.1 सामाजिक सशक्तीकरण के लिए किये गए उपाय (Measures taken for Social Empowerment).................................... 158

10.5.2 जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए योजनाएँ (Schemes for Social Empowerment of Different Sections of Population)......................... 159

अध्याय 11

भारत में सामाजिक आंदोलन (Social Movements in India).. 161

11.1 परिचय (Introduction) 161

11.2 भारत में किसान आंदोलन (Farmer's Movement in India).......................... 161

11.2.1 कृषक आंदोलन (Peasant Movements) 161

11.2.2 समृद्ध किसानों का आंदोलन (Rich Farmer's Movement) 161

11.2.3 वैश्वीकरण और किसान आंदोलन (Globalization and Farmer's Movement) 162

11.2.4 2000 के बाद किसान आंदोलन (Farmer's Movement in Post 2000) 162

11.2.5 2020-21 का भारतीय किसान विरोध (Indian Farmer's Protest 2020-21) 163

11.3 महिला आंदोलन (Women's Movement)................ 163

11.3.1 स्वतंत्रता पूर्व चरण (Pre-Independence Phase).................. 163

11.3.2 स्वतंत्रता के बाद का चरण (Post-Independence Phase) 164

11.3.3 उदारीकरण के बाद का चरण (Post Liberalization Phase).................... 165

11.3.4 सूचना प्रौद्योगिकी और महिला आंदोलन (Information Technology and Women's Movement)... 165

11.4 दलित आंदोलन (Dalit Movement) 165

11.4.1 स्वतंत्रता पूर्व (Pre-Independence)............ 165

11.4.2 स्वतंत्रता के पश्चात् (Post-Independence) . 167

11.4.3 सोशल मीडिया और दलित आंदोलन (Social Media and Dalit Movements) 168

अध्याय 12

सुभेद्य (Vulnerable Sections).. 170

12.1 महिलाएँ (Women).. 170

12.1.1 महिलाओं के लिए विधायी पहल (Legislative Steps for Women)............... 170

12.2 राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW)........ 171

12.2.1 NCW के कार्य (Functions of NCW)....... 172

12.2.2 NCW के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges Faced by NCW)................. 172

12.2.3 NCW की उपलब्धियाँ (Achievements of NCW)........................ 172

12.2.4 NCW को मज़बूत करने के लिए उपाय/सुझाव (Ways to strengthen NCW).................... 173

12.3 बच्चे (CHILDREN) 173

12.3.1 बाल संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए विधायी प्रावधान (Legislative Provisions for Child protection and empowerment) 174

12.3.2 बच्चों के लिए सरकारी योजनाएँ (Government Schemes for Children)...... 174

12.3.3 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights - NCPCR)...................... 175

12.4 दिव्यांग/नि:शक्त (Differently Abled)...................... 176

12.4.1 भारत में दिव्यांगों के साथ चुनौतियाँ (Challenges with Disabled in India) 176

12.4.2 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)..................... 177

12.4.3 सरकारी नीतियाँ (Government Policies) 177
12.4.4 अंतर्राष्ट्रीय प्रयास (International Efforts) 177
12.5 वृद्ध/वरिष्ठ नागरिक (Elderly/Senior Citizens) 178
12.5.1 वृद्धों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ (Problems faced by elderly) 178
12.5.2 सरकारी पहल (Government Initiatives) 178

अध्याय 13

गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुद्दे

(Issues Related to Poverty and Hunger) 181
13.1 गरीबी (Poverty) 181
13.2 गरीबी और उससे जुड़े मुद्दे (Poverty and Associated Issues) 181
13.2.1 बेरोजगारी (Unemployment) 181
13.2.2 कुपोषण (Malnutrition) 181
13.2.3 स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं स्वच्छता तंत्र (Health, Hygiene and Sanitation) 182
13.2.4 निरक्षरता (Illiteracy) 182
13.2.5 गरीबी का नारीकरण (Feminization of Poverty) 182
13.2.6 अपराध एवं सामाजिक तनाव (Crime and Social Tension) 182
13.2.7 बाल श्रम और आधुनिक दासता 182
13.2.8 निर्बल नागरिक समाज (Weak Civil Society) 182
13.3 शहरी और ग्रामीण गरीबी (Urban and Rural Poverty) 182
13.3.1 शहरी भारत में गरीबी (Poverty in Urban India) 182
13.3.2 ग्रामीण भारत में गरीबी (Poverty in Rural India) 183
13.3.3 गरीबी का आकलन (Estimation of Poverty) 183
13.3.4 गरीबी उन्मूलन के प्रति भारत का दृष्टिकोण (India's approach towards Poverty Alleviation) 183
13.4 गरीबी उन्मूलन का वैकल्पिक मॉडल (Alternative Model for Poverty Alleviation) 184
13.4.1 स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका (Role of voluntary organizations) 184
13.4.2 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility-CSR) .. 184
13.4.3 सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) 184
13.4.4 उद्यमिता (Entrepreneurship) 185
13.5 कोविड-19 और गरीबी (COVID-19 and Poverty) 185
13.5.1 निर्धनता के कारण (Reasons for Impoverishment) 185
13.5.2 कोविड-19 के प्रभावों को कम करने की सरकारी पहलें (Government initiatives to mitigate COVID-19 effects) 185
13.6 भुखमरी (Hunger) 186
13.6.1 भारत में भुखमरी और कुपोषण के कारण (Causes of Hunger and Malnutrition in India) 187
13.6.2 सरकारी पहलें (Government Initiatives) 187
13.6.3 भुखमरी और कुपोषण में सुधार के उपाय (Ways to improve Hunger and Malnutrition) 187

अध्याय 14

भारत में सामाजिक आंदोलन

(Social Movements in India) 189
14.1 स्वास्थ्य (Health) 189
14.1.1 स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियाँ (Challenges with Health Sector) 189
14.1.2 आगे की राह (Way Forward) 189
14.2 शिक्षा (Education) 190
14.2.1 शिक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दे (Major Issues related to Education) 190
14.2.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-NEP) 2020 ... 190
14.2.3 भारत में शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ (Schemes related to the Educational Sector in India) 191
14.2.4 आगे की राह (Way Forward) 191
14.3 मानव संसाधन (Human Resources) 191
14.3.1 कौशल विकास की आवश्यकता (Need for Skill Development) 192
14.3.2 बाधाएँ (Obstacles) 193
14.3.3 हालिया पहल (Recent Initiatives) 193

ईकाई I

भारतीय समाज

1. भारतीय समाज: एक अवलोकन (Indian Society : An Overview) 2
2. भारतीय समाज में लैंगिक प्रस्थिति (Gender in Indian Society) 17
3. जनसंख्या और संबंधित मुद्दे (Population and Associated Issues) 46
4. गरीबी एवं विकास संबंधी मुद्दें (Poverty and Developmental Issues) 65
5. नगरीकरण (Urbanization) 90
6. वैश्वीकरण और भारतीय समाज (Globalisation and Indian Society) 97
7. सांप्रदायिकता (Communalism) 124
8. क्षेत्रवाद (Regionalism) 134
9. धर्मनिरपेक्षता (Secularism) 146
10. सामाजिक सशक्तीकरण (Social Empowerment) 153
11. भारत में सामाजिक आंदोलन (Social Movements in India) 161

अध्याय

1

भारतीय समाजः एक अवलोकन
(Indian Society : An Overview)

1.1 परिचय (Introduction)

भारत मानव जाति (सभ्यता) का पालना, मानवीय भाषा की जन्मभूमि, इतिहास की जननी, लोककथाओं की दादी और परंपराओं की परदादी है।

—मार्क ट्वेन

भारत की सदियों से चली आ रही दीर्घकालिक और सतत् सभ्यता, भारत को एक अद्वितीय समाज बनाती है। भौगोलिक परिदृश्य से लेकर धर्म, भाषा, जाति, रीति-रिवाज़, खान-पान से लेकर नृजातीयता आदि सभी आयामों में विविधता ही इसे वास्तव में जीवंत और ज्वलंत बनाती है। विविधताओं के ऐसे अनगिनत आयाम चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करते हैं। तथापि, भारतीयता के मूल चरित्र "बहुलवाद" (Pluralism) और "बहुसंस्कृतिवाद" (Multiculturalism) के प्रति सहिष्णुता, वास्तव में इसे अन्य सभ्यताओं से भिन्न बनाता है। भारत दुनियाभर के अप्रवासियों और आक्रमणकारियों की भूमि रही है, जिसके परिणामस्वरूप इस भूमि पर विविध संस्कृतियों का आगमन और सम्मिलन (अंगीकरण) हुआ। परिणामस्वरूप भारत एक एकीकृत समाज के रूप में उभरा। इसे पश्चिमी समाज के "मेल्टिंग पॉट" के विपरीत 'सांस्कृतिक मोजेक मॉडल' (Cultural Mosaic Model) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक तरफ जहाँ दुनिया भर में "सभ्यता के टकराव (संघर्ष)" के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं "वसुधैव कुटुंबकम", "सर्व धर्म समभाव" और "स्वर्णिम मध्यम मार्ग" का आदर्श (दर्शन) सभी क्षेत्रों में भारतीय समाज को सर्वाधिक स्वागत योग्य (स्वीकरणीय) बनाता है।

भारत अपने गौरवशाली अतीत के बावजूद अब एक "प्रिज्मेटिक समाज" (Prismatic society) (पारंपरिक और आधुनिक के बीच की कड़ी) बन गया है। यहाँ गरीबी और ऐश्वर्य, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का एकसाथ सहअस्तित्व है। भारतीय समाज परिवर्तनशील होने के कारण वैश्वीकरण जैसी बाहरी शक्तियों का प्रभाव भी अलग-अलग रूपों में झेल रहा है।

भारतीय समाज में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय परिवेश में रहने वाले और भारतीयता के मूल्यों तथा लोकाचार को धारण करने वाले सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। भारत स्वयं अनेक पहचानों, विविध रीति-रिवाज़ों, वेशभूषा, खान-पान, रंग, पंथ, जाति आदि का एक बहुरंगी कैनवास है, जो एक अन्य शब्द अर्थात् सर्वसम्मति (Consensus) से बंधा हुआ है, जिसकी सामाजिक विशेषता अनेक विशिष्टताओं से युक्त है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यूबन, अफ़्रीकी, अमेरिकी, चीनी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे रहना प्रारंभ करते हैं, एक बार जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने लगते हैं, तो वे (अमेरिकी) बन जाते हैं और अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं।

मेल्टिंग पॉट

लोगों के पास यह विकल्प है कि वे या तो 'अमेरिकी' बनना चाहते हैं या अपनी खुद की पहचान बनाए रखना

मोजेक

1.2 भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of Indian Society)

भारतीय समाज अनेक सूक्ष्म एवं उप-समाजों का एक योग है, जो अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में रहने वाली एक आदिम जनजाति से लेकर महानगरीय मुंबई के अति-आधुनिक सामाजिक समूह के रूप में विविध हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक संरचना ग्रामीण परिवेश के पितृसत्तात्मक समाज के बड़े हिस्से की तुलना में स्पष्ट रूप से भिन्न हो सकती है। ऐसी विलक्षणताएँ भारतीय समाज को बहुत जटिल बनाती हैं। तथापि, समाजशास्त्रीय विन्यास (दृष्टिकोण) के अनुसार भारतीय समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हो सकती हैं:

- जाति व्यवस्था
- धार्मिक विविधता
- भाषायी विविधता
- नृजातीय और नस्लीय विविधता
- रूढ़िवादिता/अंधविश्वास
- संक्रमणकालीन समाज
- परिवार व संबंधी
- जनजातीय समाज
- कला एवं संस्कृति
- एक इकाई के रूप में भौगोलिक विविधता

- दार्शनिक/वैचारिक विविधता
- सहनशीलता, प्रेम और करुणा
- अंतर-निर्भरता

1.2.1 जाति व्यवस्था (Caste System)

भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के दो मुख्य रूपों - जाति और वर्ग - में से जाति सामाजिक संरचना की प्रमुख संस्था रही है। किसी व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है, यह तय करने में इसका बड़ा योगदान है। भारतीय जनमानस में इसकी जड़ें बहुत गहराई तक समायी हुई हैं, जिनके अनुसार जाति समाज में किसी व्यक्ति की सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के प्रमुख निर्धारकों में से एक है।

विडंबना यह है कि 'जाति' शब्द स्वयं भारतीय नहीं है, यह पुर्तगाली भाषा के शब्द 'कास्टा' 'Casta' से लिया गया है, जिसका अर्थ 'नस्ल' या 'शुद्ध वर्ग' है। स्वयं भारतीयों के पास संपूर्ण जाति व्यवस्था का वर्णन करने के लिए कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि वे इसके विभिन्न आयामों के संदर्भ में विभिन्न शब्दों का उपयोग करते हैं, जिनमें से दो मुख्य शब्द 'वर्ण और जाति' हैं।

वस्तुत: जाति एक अंतर्विवाही समूह (Endogamous group) या अंतर्विवाही समूहों का संग्रह है, जिसका एक सामान्य नाम होता है। इसकी सदस्यता वंशानुगत होती है। यह अपने सदस्यों पर सामाजिक संबंधों के मामलों में या तो एक सामान्य पारंपरिक व्यवसाय का पालन करने या एक सामान्य उत्पत्ति का दावा प्रस्तुत करने पर कुछ प्रतिबंध लगाती है और आमतौर पर एक एकल सजातीय समुदाय (Single Homogeneous Community) के रूप में देखी जाती है।

यद्यपि, इसकी शुरुआत व्यावसायिक समूहों के प्राकृतिक विभाजन (श्रम विभाजन की नैसर्गिक व्यवस्था) के रूप में हुई, लेकिन अंतत: धार्मिक स्वीकृति मिलने पर यह कठोरता के साथ जाति व्यवस्था के रूप में परिणत हो गयी। यह हिंदू धर्म के पुनर्जन्म जैसे विश्वास के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी जाति के अनुष्ठानों और कर्त्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं, वे निम्नतर स्थिति में पुनर्जन्म लेंगे।

जाति व्यवस्था की विशेषताएँ (Characteristics of Caste System)

इस प्रणाली के कुछ विशिष्ट तत्त्व इस प्रकार हैं:

- **कठोरता** (Rigidity): इसकी पहली विशिष्ट विशेषता इसकी पूर्ण कठोरता (Rigidity) और निश्चलता/गतिहीनता (Immobility) है। जाति व्यवस्था का पालन करने वाले लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति की मृत्यु उसी जाति में होती है, जिसमें उसका जन्म हुआ है। जाति ही वह तत्त्व है, जो जीवन में व्यक्ति की प्रस्थिति निर्धारित करता है, जैसे- अछूतों द्वारा सिर पर मैला ढोने का कार्य जन्म से ही निर्धारित होता है।
- **पदानुक्रम** (Hierarchical): भारतीय समाज की जाति संरचना पदानुक्रमित या तथाकथित उच्चतर (Superiority) और निम्नतर (Inferiority) जैसे संबंधों द्वारा एकसाथ रखी गई अधीनता की एक प्रणाली है, जिसके शीर्ष पर ब्राह्मण और सबसे निचले पायदान पर शूद्र हैं।
- **वंशानुगत व्यवसाय** (Hereditary Occupations): किसी जाति विशेष में जन्मा व्यक्ति योग्यता आधारित व्यवसाय के स्थान पर उस जाति समूह के लिए निर्धारित विशिष्ट व्यवसाय का निर्वहन करता है।
- **सहभोज पर प्रतिबंध** (Restrictions on Commensality): विभिन्न जातियों के लोगों के मध्य सहभोज (खाने-पीने) निषेध होने के कारण जाति व्यवस्था सहस्राब्दियों तक जीवित रही। इस प्रतिबंध को धार्मिक ग्रंथों द्वारा बरकरार रखा गया है, जैसे ब्राह्मण अछूतों से भोजन नहीं ले सकता।
- **अंतर्विवाह** (Endogamy)d: जाति व्यवस्था के तहत समान जाति में विवाह करने की प्रथा एक और महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, जिसने वर्षों तक जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की है। यह प्रथा भारतीयों के विचारों और मानसिकता में इस तरह व्याप्त है कि वर्तमान समय में भी अंतर्जातीय विवाह की अनुमति दुर्लभ एवं कठिन हैं। इसे वैवाहिक विज्ञापनों के प्रचलन के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। सजातीय विवाह के नियम का उल्लंघन प्राय: बहिष्कार, जाति के क्षय और सम्मान के नष्ट होने (Honour killings) का कारण बनता है।
- **अस्पृश्यता** (Untouchability): जाति व्यवस्था की सबसे घृणित व्यवस्था या स्थिति अस्पृश्यता की प्रथा है। इसके अनुसार शूद्र/अति-शूद्र समूहों से संबंधित लोगों को उच्च जाति के लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर किया जाता था। शूद्रों को गाँव में उच्च जातियों के लिए निर्मित कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी।

जाति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Trajectory of Caste)

- **प्राचीन काल** (Ancient Period): भारतीय समाज में चार वर्णों का वर्गीकरण लगभग तीन हज़ार वर्ष पुराना है। हालाँकि, 'जाति व्यवस्था' अलग-अलग समयावधि में अलग-अलग आधारों पर स्थापित रही है, इसलिए एक ही व्यवस्था के तीन हज़ार वर्षों तक जारी रहने के बारे में सोचना भ्रामक है। अपने प्रारंभिक चरण अर्थात् उत्तर-वैदिक काल में लगभग 900-500 ईसा पूर्व के बीच, जाति व्यवस्था वास्तव में एक

वर्ण व्यवस्था थी और इसे केवल चार प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया था। ये विभाजन बहुत व्यापक या बहुत कठोर नहीं था, साथ ही इनका निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न वर्णों के मध्य गतिशीलता संभव और सामान्य भी थी। उत्तर-वैदिक काल तक आते-आते जाति एक ऐसी कठोर संस्था बन गई, जिसे हम सुप्रसिद्ध परिभाषाओं के माध्यम से जानते हैं।

- **औपनिवेशिक काल** (Colonial Times): एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान स्वरूप को दृढ़ता से आकार देने का श्रेय औपनिवेशिक काल के साथ-साथ स्वतंत्र भारत में आए तीव्र परिवर्तनों को दिया जा सकता है।

प्रारंभ में, ब्रिटिश प्रशासकों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करने के उद्देश्य से भारत की जातिगत जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। इन प्रयासों में देशभर की विभिन्न जातियों और जनजातियों से संबंधित 'रीति-रिवाज़ों' पर बहुत व्यवस्थित और गहन सर्वेक्षण व अध्ययन किये गए।

पहली बार 1860 के दशक में शुरू हुई जनगणना की प्रक्रिया, 1881 के बाद से, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा प्रत्येक दस वर्ष में आयोजित किया जाने वाला एक अभ्यास बन गई। हर्बर्ट रिज्ले के निर्देशन में 1901 की गई जनगणना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें जाति के सामाजिक पदानुक्रम पर जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया गया। इस प्रयास का जाति की सामाजिक धारणाओं पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा सैकड़ों याचिकाएँ जनगणना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गईं। इनमें ऐतिहासिक और धार्मिक प्रमाण के साथ उच्च स्थान की माँग के लिए दावे किये गए। जाति की गणना करने और जाति की स्थिति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के इस तरह के प्रत्यक्ष प्रयास ने स्वयं इस संस्था को ही परिवर्तित कर दिया। इस तरह के हस्तक्षेप से पूर्व जाति की पहचान करना अत्यधिक सरल और बहुत कम कठोर थी। जबसे इनकी गणना करने और इन्हें दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तबसे जाति का स्वरूप परिवर्तित हो गया और इसने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया।

दूसरी तरफ, भू-राजस्व निपटान संबंधित व्यवस्थाओं और कानूनों ने उच्च जातियों के रूढ़िगत (जाति-आधारित) अधिकारों को विधिक मान्यता देने का कार्य किया। ये जातियाँ अब भूमि की उपज पर दावा करने या विभिन्न प्रकार के राजस्व/शुकराना (पुरस्कार) का दावे करने वाले सामंती वर्ग के बजाय आधुनिक अर्थ में भूमि मालिक [ज़मींदार] बन गईं।

इसके अलावा, निम्न जातियों के कल्याण के लिए वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसने राज्य द्वारा विशेष संरक्षण के लिए चिह्नित जातियों और जनजातियों की सूचियों या 'अनुसूचियों' का निर्धारण कर उनको कानूनी मान्यता प्रदान की। इस प्रकार 'अनुसूचित जनजाति' और 'अनुसूचित जाति' शब्द अस्तित्व में आए। पदानुक्रम में सबसे निम्न स्तर पर सभी तथाकथित 'अछूत' जातियाँ शामिल थीं, जिन्हें अनुसूचित जातियों के तहत शामिल किया गया था। इन्हें गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता था, हालाँकि आधुनिक शिक्षा, व्यावसायिक विविधता, शहरीकरण, भूमि हस्तांतरण, समान आधुनिक कानूनी प्रणाली से भी जाति व्यवस्था को आघात पहुँचा है। अस्पृश्यता के सामाजिक ख़तरे को समाप्त करने के लिए कई सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन; जैसे आत्मसम्मान आंदोलन, सत्य शोधक समाज, महाड सत्याग्रह आदि किये गए। इसके अलावा जाति संबंधी विचारों ने अनिवार्य रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन की व्यापक जनलामबंदी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। "दलित वर्गों" को संगठित करने के लिए जातिगत वर्णक्रम के दोनों छोरों से पहल की गई। इसके लिए उच्च जाति के प्रगतिशील सुधारकों के साथ-साथ निचली जातियों के सदस्यों, जैसे पश्चिमी भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबासाहेब अंबेडकर तथा दक्षिण में महात्मा अय्यंकाली, श्री नारायण गुरु, अयोथीदास और पेरियार (ई.वी. रामास्वामी नायकर) द्वारा अथक प्रयास किये गए।

महात्मा गाँधी और बाबासाहेब अंबेडकर, दोनों ने 1920 के दशक से अस्पृश्यता के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन आयोजित करना शुरू कर दिया था। अस्पृश्यता विरोधी कार्यक्रम कांग्रेस के एजेंडे का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गए, जिससे स्वतंत्रता के नजदीक होने पर, जातिगत भेद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन के विभिन्न घटकों में एक व्यापक सहमति हो सके। राष्ट्रवादी आंदोलन का एक प्रमुख दृष्टिकोण जाति को एक सामाजिक बुराई और भारतीयों को विभाजित करने (सांप्रदायिक पंचाट/मैकडोनाल्ड पुरस्कार) की एक औपनिवेशिक चाल के रूप में मानना था। किंतु राष्ट्रवादी नेता, विशेष रूप से महात्मा गाँधी ने राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ-साथ निचली जातियों के उत्थान के लिए भी कार्य किए। अस्पृश्यता और अन्य जाति प्रतिबंधों के उन्मूलन की वकालत करते हुए उन्होंने जमींदारों एवं ऊँची जातियों को भी आश्वस्त किया कि उनके हितों की भी रक्षा की जाएगी।

स्वतंत्रोपरांत (आज़ादी के बाद) (Post Independence)

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत को ये अंतर्विरोध विरासत में मिले और प्रतिबिंबित भी हुए। एक ओर जहाँ राज्य जाति उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था और इसके लिये संविधान में (अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन) स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। इनके सशक्तीकरण के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति को अतिरिक्त आरक्षण प्रदान किया गया। वहीं दूसरी ओर, राज्य आमूल-चूल

सुधारों को आगे बढ़ाने में असमर्थ और अनिच्छुक दिखा, जिसने जातिगत असमानता के आर्थिक आधार को कम करने के प्रयास को कमज़ोर किया। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता के तुरंत बाद के दशकों में, राज्य ने उच्च और निम्न जातियों के मध्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से असमानता के तथ्य से निपटने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया।

राज्य की विकास गतिविधियों और निजी उद्योगों की वृद्धि ने भी जाति को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की गति और तीव्रता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। आधुनिक उद्योग द्वारा सृजित सभी प्रकार के नए रोज़गारों के लिए कोई जातीय नियम नहीं थे। शहरीकरण और शहरों में सामूहिक जीवन की स्थितियों ने सामाजिक संपर्क की जाति से भिन्न स्वरूप की उत्तरजीविता को कठिन बना दिया। एक अलग स्तर पर, आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने व्यक्तिवाद और योग्यतावाद के उदार विचारों से आकर्षित होकर, चरम जातीय प्रथाओं का त्याग करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर, यह उल्लेखनीय है कि जाति इतनी लचीली सिद्ध हुई कि इसने औद्योगिक नौकरियों में, बॉम्बे (वर्तमान मुंबई) कपड़ा मिलों में, कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) जूट मिलों, या अन्यत्र भर्ती के लिए जाति और संबंध के आधार पर संगठित होना जारी रखा।

इसमें आश्चर्य नहीं है कि सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्रों में जाति सबसे मज़बूत सिद्ध हुई है। सजातीय विवाह या जाति के भीतर विवाह करने की प्रथा आधुनिकीकरण और परिवर्तन से काफ़ी हद तक अप्रभावित रही।

शायद, "राजनीति के जातिकरण और जाति के राजनीतिकरण" के रूप में परिवर्तन का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति रहा है। स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक राजनीति, जाति से, गहराई से प्रभावित रही है। 1980 के दशक से जाति-आधारित राजनीतिक दलों का उदय स्पष्ट रूप से देखा गया। आरंभिक आम चुनावों में, ऐसा प्रतीत हुआ था कि जातिगत एकजुटता चुनाव जीतने में निर्णायक कारक है।

समसामयिक परिदृश्य (Contemporary Trends)

वर्तमान समय में जीवन की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार जाति व्यवस्था ने स्वयं को समायोजित करने के प्रयासों में नई और महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ ग्रहण की हैं। औद्योगीकरण और शहरीकरण के अलावा, अन्य कारक, जैसे पश्चिमीकरण, संस्कृतीकरण, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक-धार्मिक सुधार, स्थानिक और व्यावसायिक गतिशीलता और बाज़ार अर्थव्यवस्था के विकास ने जाति व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया है।

- **जातिगत चेतना** (Caste Consciousness): जाति समूहों के सदस्यों की जातिगत-चेतना बढ़ रही है। प्रत्येक जाति अपने हितों की रक्षा करना चाहती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जातियों ने आरक्षण की माँग के लिए श्रमिक संघों या जाट महासभा जैसे जाति संघों के मॉडल पर स्वयं को संगठित करना शुरू कर दिया है।
- **राजनीतिक प्रभाव** (Political Influence): जाति और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करने लगे हैं। जाति, राजनीति का एक अविभाज्य पहलू बन गई है। वास्तव में, यह राजनीति पर अपनी पकड़ मज़बूत कर रही है। अधिकतर चुनाव जाति के आधार पर लड़े जाते हैं। उम्मीदवारों का चयन, मतदान विश्लेषण, विधायक दल के नेताओं का चयन, मंत्री पद का वितरण आदि बहुत हद तक जाति पर आधारित होते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य की राजनीति वस्तुत: अपनी 'प्रमुख जातियों' के टकराव की राजनीति है, जैसे चुनाव में सामाजिक अभियांत्रिकी।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय** (Constitutional Safeguards): अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों ने जाति को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। इन प्रावधानों ने कुछ वर्गों को स्थायी रूप से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निहित स्वार्थ विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। विभिन्न जातियों द्वारा आरक्षण की माँग में तेज़ी का पता इन प्रावधानों और उनकी प्रभावशीलता से लगाया जा सकता है, जैसे सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की माँग।

जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण (Reasons for Change in Caste System)

आधुनिक समय में जाति व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया है। जाति व्यवस्था में हुए परिवर्तन में योगदान देने वाले कारकों की संक्षिप्त विवचेना निम्नवत है-

- **समान कानूनी प्रणाली** (Uniform Legal System): ब्रिटिश सरकार ने एक समान कानून प्रणाली शुरू की, जिसे स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक सरकार द्वारा जारी रखा गया। भारत का संविधान सभी को समानता का आश्वासन देता है और जाति व्यवस्था के आंतरिक तत्त्व अस्पृश्यता (Untouchability) की प्रथा को गैर-कानूनी घोषित करते हैं (अनुच्छेद 17)।
- **आधुनिक शिक्षा** (Modern Education): अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में एकसमान रूप में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की शुरुआत की। स्वतंत्रता के बाद शैक्षिक सुविधाएँ सभी नागरिकों के लिए बढ़ा दी गईं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, जिससे जाति व्यवस्था की वैधता समाप्त हो गई।
- **औद्योगीकरण और शहरीकरण** (Industrialization and Urbanization): औद्योगीकरण के कारण गैर-कृषि रोज़गार

के अवसरों में बड़ी संख्या में वृद्धि हुई, जिससे भूमिधारक उच्च जातियों की सामाजिक पकड़ कमज़ोर हो गई है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न जातियों, वर्गों और धर्मों के लोग कारखानों, कार्यालयों, कार्यशालाओं आदि में एकसाथ काम करने लगे, जो दो शताब्दी पहले अकल्पनीय था। शहरों के विकास ने सभी जाति के लोगों को एकसाथ लाकर उन्हें अपने कई जातिगत प्रतिबंधों को अनदेखा करते हुए एकसाथ रहने के लिए मजबूर किया। उदाहरण के लिए मिलिंद कांबले द्वारा डी.आई.सी.सी.आई (DICCI) का गठन और दलित पूँजीवाद का उदय।

- **आधुनिक परिवहन और संचार प्रणाली** (Modern Transport and Communication System): परिवहन के आधुनिक साधन; जैसे ट्रेन, बस, जहाज, हवाई जहाज, ट्रक आदि मनुष्यों और वस्तुओं के आवागमन में बहुत मददगार रहे हैं। संचार के आधुनिक साधनों; जैसे- समाचार-पत्र, डाक, तार, टेलीफ़ोन, रेडियो, टेलीविजन आदि ने लोगों को जातिगत संकीर्णता से बाहर आने में मदद की है।
- **स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र** (Freedom Struggle and Democracy): अंग्रेजों के विरुद्ध हुए स्वतंत्रता संग्राम ने सभी जातियों व धर्मों के लोगों को एकसमान उद्देश्य के लिए युद्ध करने के लिए एकजुट किया। इसके अलावा, स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की स्थापना ने बिना किसी भेदभाव के सभी को समान सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अवसर प्रदान करके जाति पर एक और प्रहार किया। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15 सार्वजनिक रोज़गार में समानता की बात करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया।
- **गैर-ब्राह्मण आंदोलन** (Non-Brahmin Movement): 1873 में ज्योतिराव फुले जैसे नेताओं द्वारा ब्राह्मण वर्चस्व के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया गया था। इसी तरह ई. वी. रामास्वामी द्वारा किया गया आत्म-सम्मान आंदोलन समय के साथ विशेष रूप से दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो गया। इसने निम्न जातियों के मध्य जागरूकता का प्रसार कर उनमें "आत्म-सम्मान" की भावना जागृत की।

जजमानी व्यवस्था (Jajmani System)

भारतीय समाज एक जातिप्रथा से पीड़ित समाज है, जहाँ सामाजिक स्तरीकरण की प्रथाएँ विद्यमान हैं। इस तथ्य के बावजूद भारत में परस्पर-निर्भरता की एक उल्लेखनीय परंपरा विद्यमान है, जिसने सदियों से इसे एकजुट करके रखा है। इसके उदाहरण जजमानी व्यवस्था या विभिन्न जातियों की परस्पर कार्यात्मक निर्भरता है। जजमान या यजमान कुछ सेवाओं का प्राप्तकर्ता होता है। यह प्रणाली शुरू में गाँवों में खाद्य उत्पादक परिवारों और उन परिवारों के बीच विकसित हुई, जो उन्हें अन्य वस्तुओं और सेवाओं से सहायता प्रदान करते थे।

जजमानी के साथ विकसित सामाजिक व्यवस्था का संपूर्ण क्षेत्र कई प्रकार के भुगतानों और दायित्वों से जुड़ा है। कोई भी जाति आत्मनिर्भर नहीं थी और वह कई वस्तुओं या कार्यों के लिए दूसरी जातियों पर निर्भर थी। इस प्रकार, प्रत्येक जाति एक कार्यात्मक समूह के रूप में काम करती थी और जजमानी प्रणाली के तंत्र के माध्यम से अन्य जातियों से जुड़ी हुई थी।

- यद्यपि जजमानी प्रणाली हिंदू जाति के अंतर्संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, फिर भी व्यवहार में यह प्रणाली धर्म की सीमा को पार कर विभिन्न धर्मों के बीच भी संबंधों का विकास करती है। उदाहरण के लिए हिंदू की मुस्लिम बुनकर या धोबी पर निर्भरता या मुस्लिम की हिंदू व्यापारी/दर्ज़ी/सुनार आदि पर निर्भरता।
- हालाँकि, पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण, कमज़ोर जाति व्यवस्था, शिक्षा के विस्तार और बदले में रोज़गार जैसे विभिन्न विकासों ने परस्पर निर्भरता के पारंपरिक आधार को परिवर्तित करते हुए जजमानी प्रणाली को बदल दिया है।

प्रभु जाति (Dominant Caste)

'प्रभु जाति' शब्द का प्रयोग उन जातियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिनकी आबादी बड़ी थी और स्वतंत्रता के बाद लागू आंशिक भूमि सुधारों के माध्यम से जिन्हें भूमि अधिकार प्रदान किये गए थे। प्रभु जाति को प्रबल, प्रभुता संपन्न, प्रभावी या संरक्षित जाति के नाम से भी जाना जाता है। भूमि सुधारों ने तत्कालीन दावेदारों, उच्च जातियों, जिन्हें 'अनुपस्थित ज़मींदार' के नाम से जाना गया, से इस अर्थ में भूमि अधिकार छीन लिए कि उन्होंने लगान का दावा करने के अलावा कृषि अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका नहीं निभाई है। वे प्रायः गाँव में भी नहीं रहते थे, बल्कि कस्बों/शहरों में रहते थे। ये भूमि अधिकार अब दावेदारों की अगली श्रेणी में निहित हो गए, जो कृषि प्रबंधन में शामिल थे, लेकिन स्वयं कृषक नहीं थे। बदले में ये मध्यवर्ती जातियाँ भूमि की जुताई और देखभाल के लिए निचली जातियों के श्रम पर निर्भर थीं, जिनमें विशेष रूप से 'अछूत' जातियाँ भी शामिल थीं। हालाँकि, एक बार उन्हें भूमि अधिकार मिलने पर, वे काफी हद तक आर्थिक रूप से सशक्त हो गए। उनकी बड़ी संख्या ने उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र के युग में राजनीतिक शक्ति भी प्रदान की। इस प्रकार, ये मध्यवर्ती जातियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 'प्रभु जातियाँ' बन गईं और क्षेत्रीय राजनीति तथा कृषि अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाने लगीं। ऐसी

प्रमुख जातियों के उदाहरणों में बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के वोक्कालिगा, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और खम्मा, महाराष्ट्र के मराठा, पंजाब और हरियाणा के जाट शामिल हैं।

संस्कृतीकरण और पश्चिमीकरण (Sanskritization and Westernization)

जाति व्यवस्था में दो महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ देखी गईं - संस्कृतीकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया। संस्कृतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें निचली जातियाँ कुछ प्रमुख उच्च जातियों के मूल्यों, प्रथाओं और जीवन-शैली का इस विश्वास के साथ अनुसरण करती हैं कि इससे उन्हें उच्च जाति के दर्जे का दावा करने की अनुमति मिल जाएगी। उदाहरण के लिए निचली जातियों द्वारा मांस व मदिरा का सेवन तथा अपने देवताओं को पशु बलि देना आदि कार्य किये जाते हैं।

जबकि पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें उच्च जाति के लोग अपनी जीवन-शैली को पश्चिमी मॉडल के समान ढाल लेते हैं। एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार, "पश्चिमीकरण" का तात्पर्य ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणामस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए बदलावों से है। इस अवधारणा में विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों में प्रौद्योगिकी, संस्थान, विचारधारा और मूल्य शामिल हैं।

1.2.2 धार्मिक विविधता (Religious Diversity)

सामान्य अर्थ में धर्म विश्वासों, भावनाओं, रूढ़ियों और प्रथाओं का एक समूह है, जो मनुष्य और पवित्रता या देवत्व के मध्य संबंधों को परिभाषित करता है। सदियों से भारत में कई धार्मिक सिद्धांतों का विकास हुआ है और विश्व के विभिन्न धर्मों के लोगों ने इसे अपनी मातृभूमि बनाया है। इस प्रकार, यह धार्मिक विविधता की एक सर्वोत्कृष्ट भूमि है, जहाँ विश्व के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का पालन उनके संबंधित अनुयायियों द्वारा किया जाता है।

भारत में प्रमुख धर्मों में सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म हैं, जबकि पारसी, यहूदी और वहाबी कम अनुयायियों वाले धर्म हैं। साथ ही यह देश कई स्वदेशी आस्थाओं का भी घर है, जो सदियों से प्रमुख धर्मों के प्रभाव से बचे हुए हैं और मज़बूती से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। देश में विविध धार्मिक समूहों का क्षेत्रीय सह-अस्तित्व इसे वास्तव में अद्वितीय बनाता है।

भारतीय संविधान देश की धार्मिक विविधता को मान्यता देता है और इस प्रकार इसे एक पंथनिरपेक्ष गणराज्य घोषित करता है, जो बिना किसी भेदभाव के अपने सभी नागरिकों को धर्म को मानने और प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है (अनुच्छेद 25)।

हालाँकि, इस धार्मिक विविधता ने सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के रूप में देश के सामने लगातार चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। ब्रिटिश काल से शुरू हुई सांप्रदायिकता देश की एकता के समक्ष उपस्थित सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

1.2.3 भाषायी विविधता (Linguistic Diversity)

भारत एक बहुभाषी (Polyglot) देश है। भारत में लगभग 1600 से अधिक भाषाएँ, मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। उनमें से कई जनजातीय भाषाएँ हैं, जो कुल आबादी के एक प्रतिशत से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं। जनगणना निदेशालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 22 अनुसूचित भाषाएँ और 100 गैर-अनुसूचित भाषाएँ हैं, जिन्हें एक लाख या उससे अधिक लोगों द्वारा बोला जाता है।

संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएँ दो भाषायी परिवारों से संबंधित हैं: 'इंडो-आर्यन और द्रविड़ियन'। मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु चार प्रमुख द्रविड़ भाषाएँ हैं। भारत की कुल आबादी के 75% लोगों द्वारा इंडो-आर्यन परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं, जबकि 20% लोगों द्वारा द्रविड़ियन परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। इस भाषायी विविधता के बावजूद, भारत की अनेक संपर्क भाषाएँ रही हैं, जो समय-समय पर बदलती रही हैं। प्राचीन काल में यह संस्कृत थी, मध्यकाल में यह अरबी या फ़ारसी और वर्तमान समय में यह हिंदी और अंग्रेज़ी है।

भाषा, भारत में पहचान के प्रमुख शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है। भारतीय संघ में राज्यों को प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। लोगों की पहचान, उनकी मातृभाषा के माध्यम से कुछ भाषायी, जातीय, धार्मिक या सांस्कृतिक समूहों के रूप में की जाती है। इसके अलावा, भाषा देश में कई नृजातीय आंदोलनों का भी आधार रही है। हालाँकि, यह भाषायी विविधता कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है, जो भाषा, क्षेत्रवाद, भाषायी अंधराष्ट्रवाद पर आधारित नए राज्यों की माँग के रूप में सामने आती रहती हैं और आज़ादी के बाद से इन विवादों के केंद्र में हिंदी को प्रमुख रूप से देखा गया है।

1.2.4 नृजातीय और नस्लीय विविधता (Ethnic and Racial Diversity)

जातीयता को नस्ल, वंश और संस्कृति के संदर्भ में एक विशिष्ट प्रकृति के लोगों की सामूहिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, एक जातीय समूह एक सामाजिक सामूहिकता है, जिसमें कुछ साझा ऐतिहासिक और सामान्य गुण होते हैं, जैसे कि नस्ल, जनजाति, भाषा, धर्म, पोशाक, आहार आदि।

जातीयता कोई स्थिर या पूर्व-निर्धारित श्रेणी नहीं है; यह एक बहुल समाज में सामान्य, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों तथा कुछ सदस्यों द्वारा उनके संरक्षण की अभिव्यक्ति है। इस

प्रकार, कभी-कभी जातीयता का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लामबंदी के एक साधन के रूप में किया जाता है। जातीयता एक सांस्कृतिक घटना है और इस प्रकार कोई भी संस्कृति श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। संस्कृति लोगों की होती है और वे अन्य लोगों की तरह ही इसे पसंद करते हैं।

नृजातीय संघर्ष (Ethnic Conflicts)

- कभी-कभी, नृजातीय समूह अपने वास्तविक या अनुमानित हितों के टकराव के कारण बिल्कुल विपरीत समूहों के रूप में कार्य करते हैं। हितों का ऐसा टकराव सांप्रदायिकता का रूप भी ले सकता है।
- कुछ समूह राष्ट्रीय संसाधनों के एक बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी बड़ी संख्या या मूल रूप से सामाजिक श्रेष्ठता का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। इस स्थिति में छोटी आबादी वाले अन्य समुदाय अपने 'वैध दावों' से वंचित महसूस कर सकते हैं। विभिन्न जातीय समूहों के बीच आपसी अविश्वास, असंतोष और दूरी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार 'सापेक्षिक अभाव' ही सभी जातीय संघर्षों का मूल कारण है। वितरणात्मक न्याय की कमी, संसाधनों तक पहुँच में अंतर और सांस्कृतिक भिन्नता को जातीय समस्याओं का मुख्य कारण माना गया है।
- कभी-कभी जातीय संघर्ष 'बाहरी' और 'अंदरूनी' के बीच किये गए भेद के कारण होता है। 'वेश' (बाहरी लोगों) के विरुद्ध 'हम' (अंदरूनी लोगों) का रवैया सभी समाजों में पाया जाता है। अप्रवासियों को 'विदेशी' माना जाता है। ऐसी समस्या तब उत्पन्न होती है, जब असमिया, बंगाली, गुजराती, उड़िया, हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, मराठी और सिंधी बोलने वाले लोग राष्ट्रीय संदर्भ में एक-दूसरे को अलग मानते हैं।
- ऐसे जातीय समूहों को 'आदिकालीन समूहन' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। प्रायः एक राज्य के सदस्य दूसरे राज्य के सदस्यों को बाहरी मानते हैं। वे नहीं चाहते कि दूसरे राज्य के लोग उनके राज्य में रोज़गार करें। उप-क्षेत्रों, शहरों, कस्बों और यहाँ तक कि गाँवों का उपयोग अक्सर अंदरूनी और बाहरी लोगों के बीच एक रेखा खींचने के लिए किया जाता है।

नस्लीय विविधता (Racial Diversity)

नस्ल, विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं; जैसे त्वचा का रंग, नाक का प्रकार, बालों का रूप इत्यादि, वाले लोगों का एक समूह है। भारत में प्रमुख नस्लें इस प्रकार हैं:

- **नेग्रिटो:** नेग्रिटो वे लोग हैं, जो अफ़्रीका में पाए जाने वाले काले नस्लीय समूह से संबंधित हैं। दक्षिण भारत की कुछ जनजातियाँ, जैसे कादर और पनियान आदि नेग्रिटो नस्लीय समूह से संबंधित हैं।
- **प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड:** यह एक ऐसे जातीय समूह से मिलकर बनता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के स्थानिक आदिवासी और दक्षिणी एशिया तथा प्रशांत द्वीपसमूह के अन्य लोग शामिल हैं। इस समूह में सिंहभूम (झारखंड) की हो और विंध्य पर्वतमाला (मध्य प्रदेश) की भील जनजातियाँ शामिल हैं।
- **मंगोलॉयड:** यह एशिया का एक प्रमुख स्थानिक एवं नस्लीय समूह है, जिसमें उत्तरी और पूर्वी एशिया के लोग शामिल हैं। भारत में मंगोल प्रजाति उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है।
- **नॉर्डिक:** ये लम्बे कद, लंबे सिर, हल्के रंग की त्वचा एवं बाल तथा नीली आँखों जैसी शारीरिक विशेषताओं वाले होते हैं। भारत में, ये देश के उत्तरी हिस्सों, विशेषकर पंजाब और राजपूताना क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

ऐसे सभी नस्लीय भेदभाव सामूहिक पहचान पर आधारित होते हैं, जिनके अपने "राजनीतिक निहतार्थ" होते हैं। यह बदले में संघर्ष पैदा करता है। हालाँकि, नस्ल आधारित संघर्ष इतना गंभीर नहीं है, फिर भी नस्लीय आक्रोश के कारण दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के निवासी निडो तानिया की पीट-पीटकर हत्या करने की घटना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की भावना को धूमिल करती है। इसके बाद पूर्वोत्तर की समस्याओं का आकलन करने के लिए नस्लीय भेदभाव की दृष्टि से गठित 'बेजबरूआ समिति' एक सकारात्मक कदम है।

1.2.5 रूढ़िवादिता/अंधविश्वास (Orthodoxy/ Superstition)

भारत में जीवन विभिन्न प्रकार के विचित्र एवं अहानिकर अंध विश्वासों से भरा हुआ है। विविधतापूर्ण देश होने के कारण भारत में अनेक मूल्य हैं, जो आदिम होने के साथ-साथ आधुनिक भी हैं। कुछ प्रारंभिक मूल्य इतने गहरे हैं कि वर्तमान समय में भी वे सामाजिक मानदंडों को निर्धारित करते प्रतीत होते हैं। ये मूल्य अंधविश्वासों में परिलक्षित होते हैं, जो लोगों के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

ऐसी रूढ़िवादिता या अंधविश्वास का दूसरा पक्ष महिलाओं, दिव्यांगों, जीवों के साथ भेदभाव, समाज में संघर्ष, धर्मों का टकराव और यहाँ तक कि पुराने रीति-रिवाज़ों के रूप में व्यक्तिगत क्षति भी पहुँचाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर डायन, अपशकुनी जैसे आरोप लगाए जाते हैं, जो कई मामलों में गाँव से उनके बहिष्कार और यहाँ तक कि उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार, नग्न परेड तथा हिंसा का कारण बनते हैं।

बेटों को अपने माता-पिता का धार्मिक संस्कार करने वाला माना जाता है। इस सोच ने बेटों की चाहत को बढ़ावा दिया, जिसने लड़कियों को हाशिये पर डाल दिया है। इसके परिणामस्वरूप कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के साथ भेदभाव और अधीनता जैसे दुर्व्यवहारों की एक शृंखला जारी है, जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की उपेक्षा में परिलक्षित होती है।

1.2.6 संक्रमणकालीन समाज (Transitional Society)

भारत को "प्रिज्मेटिक समाज" या "संक्रमणकालीन समाज" कहा जाता है, जो परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। यहाँ आधुनिकता के साथ-साथ आदिम मूल्यों का भी संगम है। यह एक विकासशील समाज है, जहाँ आधुनिक मूल्यों, जैसे धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद आदि के साथ-साथ जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म पर आधारित पारंपरिक मूल्य सह-अस्तित्व में हैं। यहाँ, जन-संप्रभुता के मूल्य पर आधारित निर्वाचन प्रणाली वाले लोकतंत्र के साथ-साथ "खाप पंचायत" जैसी संस्थाएँ भी सह-अस्तित्व में हैं। ऐसी विषमताएँ भारतीय जीवन में विविधता लाती हैं। फिर भी, भारत आधुनिक मूल्यों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें मानवाधिकार, महिलाओं के प्रति सम्मान, समानता, सामाजिक-आर्थिक न्याय आदि शामिल हैं। सामाजिक परिवर्तन के माध्यमों का उपयोग कभी-कभी पारंपरिक मूल्यों का अभ्यास करने के लिए भी किया जाता है, जैसे देवता के ई-दर्शन, कुंडली मिलान के लिए इंटरनेट का प्रयोग आदि।

1.2.7 परिवार और संबंधी (Family and Kinship)

भारतीय समाज में परिवार (Family in Indian Society)

परिवार समाज की मूल इकाई है। यह एक बच्चे के लिए प्राथमिक और सबसे प्रभावी सामाजिक वातावरण होता है। बच्चा बचपन में भाषा, व्यवहार के प्रतिरूप और सामाजिक मानदंड परिवार में ही सीखता है। परिवार एक सार्वभौमिक समूह है, जो आदिवासी, ग्रामीण और शहरी समुदायों के साथ सभी धर्मों और संस्कृतियों के अनुयायियों के बीच किसी-न-किसी रूप में विद्यमान रहता है। परिवार अपने सभी रूपों में सबसे स्थायी संबंध प्रदान करता है।

परिवार की सार्वभौमिक एवं स्थायी प्रकृति के बावजूद विभिन्न समाजों में इसकी संरचना में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। आदिवासी और कृषि प्रधान समाज में कई पीढ़ियों के लोग एकसाथ रहते हैं। इन समाजों में बड़े और 'संयुक्त परिवार' देखे जा सकते हैं। वहीं औद्योगिक समाजों में परिवार पति, पत्नी और उनके बच्चों तक ही सीमित होता है, जिसे "एकल परिवार" कहा जाता है।

परिवार की विशेषताएँ (Characteristics of Family)

परिवार में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

- सार्वभौमिकता
- सामाजिक परिवेश, जो व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन को प्रभावित करता है
- भावनात्मक सुधार, भावुकता
- सीमित आकार
- सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थान
- सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना
- व्यवहार का सामाजिक विनियमन एवं नियंत्रण
- आर्थिक सहयोग

परिवार के विविध रूप (Diverse Forms of Family)

- **निवास के नियमों के आधार पर:** कुछ समाज अपने विवाह और पारिवारिक रीति-रिवाज़ों में मातृसत्तात्मक हैं, जबकि अन्य पितृसत्तात्मक हैं। पहले रूप में, नवविवाहित जोड़ा महिला के माता-पिता के साथ रहता है, जबकि दूसरे में नवविवाहित जोड़ा पुरुष के माता-पिता के साथ रहता है।
- **उत्तराधिकार के नियमों के संबंध के आधार पर:** मातृवंशीय समाज में संपत्ति का हस्तांतरण माँ से बेटी को, जबकि पितृवंशीय समाज में पिता से पुत्र को किया जाता है।
- **अधिकार और प्रभुत्व के आधार पर:** एक पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना वह है, जहाँ पुरुष अधिकार और प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं और मातृसत्तात्मक परिवार वह है, जहाँ महिलाएँ समान रूप से प्रमुख भूमिका निभाती हैं। हालाँकि, मातृसत्ता - पितृसत्ता के विपरीत - एक अनुभवजन्य अवधारणा के बजाय एक सैद्धांतिक अवधारणा ही रही है। मातृसत्तात्मक परिवार का कोई ऐतिहासिक या मानवशास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता है।

हालाँकि, कुछ समाजों में मातृसत्तात्मक परिवार के अंश मिलते है। अर्थात्, ऐसे समाज, जहाँ महिलाओं को अपनी माँ से संपत्ति विरासत में मिलती है, लेकिन वे उस पर नियंत्रण नहीं रखती हैं, न ही वे सार्वजनिक मामलों में निर्णय ले सकती हैं। उदाहरणार्थ, मेघालय के खासी।

संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार (Joint Family vs Nuclear Family)

संयुक्त परिवार की विशेषताएँ:

- अधिनायकवादी संरचना- निर्णययात्मक शक्ति पितृसत्ता में निहित।
- परिवारवादी संगठन- व्यक्तिगत हित समग्र रूप से परिवार के हितों के अधीन होते हैं।
- सदस्यों की स्थिति का निर्धारण उम्र और संबंध के आधार पर
- दाम्पत्य संबंधों की तुलना में पारिवारिक और भाईचारे के रिश्ते को प्राथमिकता।
- परिवार का संचालन संयुक्त उत्तरदायित्व के आदर्श पर - पुत्र पिता का ऋण चुकाता है।

- सभी सदस्यों पर समान ध्यान दिया जाता है - अमीर और गरीब दोनों बेटों से समान रूप से व्यवहार किया जाता है।
- परिवार में प्राधिकार वरिष्ठता के सिद्धांत पर निर्धारित होता है।

एकल परिवार की विशेषताएँ:-

- लोकतांत्रिक निर्णयन,
- लघु आकार,
- उच्च भौगोलिक गतिशीलता,
- दांपत्य संबंधों का प्रबल होना।

एकल परिवार को बढ़ावा देने वाले कारक (Factors Reinforcing the Joint Family)

- **जनसंख्या क्रांतिः** कृषि से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की ओर गमन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन, जन्म और मृत्यु दर में कमी, जीवन की औसत प्रत्याशा में वृद्धि और परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों की उपलब्धता आदि।
- **तकनीकी क्रांतिः** आधुनिक परिवहन और संचार; जैसे इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया ने गतिशीलता के साथ-साथ संपर्क में रहने के रास्ते भी बढ़ा दिए हैं। कृषि कार्यों के मशीनीकरण के कारण संयुक्त परिवार के सदस्यों की आवश्यकता कम हो गई है।
- **लोकतांत्रिक क्रांतिः** पारिवारिक स्तर पर लोकतंत्र के आदर्शों में महिलाओं द्वारा अधिकारों की माँग, पितृसत्ता के अधिकार से बच्चों की मुक्ति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लेने की इच्छा आदि शामिल हैं।
- **धर्मनिरपेक्ष क्रांतिः** धार्मिक मूल्यों से तर्कसंगत मूल्यों की ओर बदलाव। पति के प्रति पत्नी के रवैये में बदलाव, कुसमायोजन पर तलाक की माँग, बुढ़ापे में माता-पिता का साथ देने में बच्चों की अनिच्छा आदि।

संयुक्त परिवार को सुदृढ़ करने वाले कारकः

- **दोहरे करियर वाले परिवारः** आज कई जोड़े (पति/पत्नी) बैंकिंग और बीमा जैसे सेवा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए बहुत कम समय मिलता है। ऐसे में बूढ़े माता-पिता ही बच्चों की देखभाल करते हैं।
- **शहरी क्षेत्रों में रहने की बढ़ती लागतः** शहरों में आवास खोजने की समस्या और रहने के लिए सीमित स्थान की उपलब्धता है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से मलिन बस्तियों में, रहने की बढ़ती लागत लोगों को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निवास साझा करने के लिए मजबूर करती है।
- **संयुक्त परिवार की विचारधारा में लचीलापनः** जो परिवार शहरों में चले गए हैं, वे अभी भी गाँव और कस्बे में संयुक्त परिवार से जुड़े हुए हैं। यह जन्म, विवाह, मृत्यु, बीमारी जैसी घटनाओं के समय संबंधियों की भौतिक उपस्थिति से स्पष्ट होता है। कभी-कभी शहरों में रहने वाले परिवारों के सदस्य इन आयोजनों के लिए गाँव चले जाते हैं। संयुक्त परिवार की नीति कुछ भूमिका और दायित्वों के निष्पादन में बहुत स्पष्ट है। शहर में रहने वाले एक परिवार का कर्तव्य है कि वह ग्रामीण परिवार के सभी अप्रवासियों (शिक्षा या काम की तलाश में शहर आए युवा पुरुषों, या चिकित्सा उपचार चाहने वाले संबंधियों) को आश्रय दे।
- **औद्योगीकरणः** औद्योगीकरण संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि यह परिवार को समर्थन देने के लिए आर्थिक आधार प्रदान करता है, जिससे रिश्तेदार गतिशीलता के प्रयास में एक-दूसरे की मदद कर सके हैं। इसीलिए औद्योगिक उद्यमियों के बीच संयुक्त परिवार का चलन बना हुआ है।

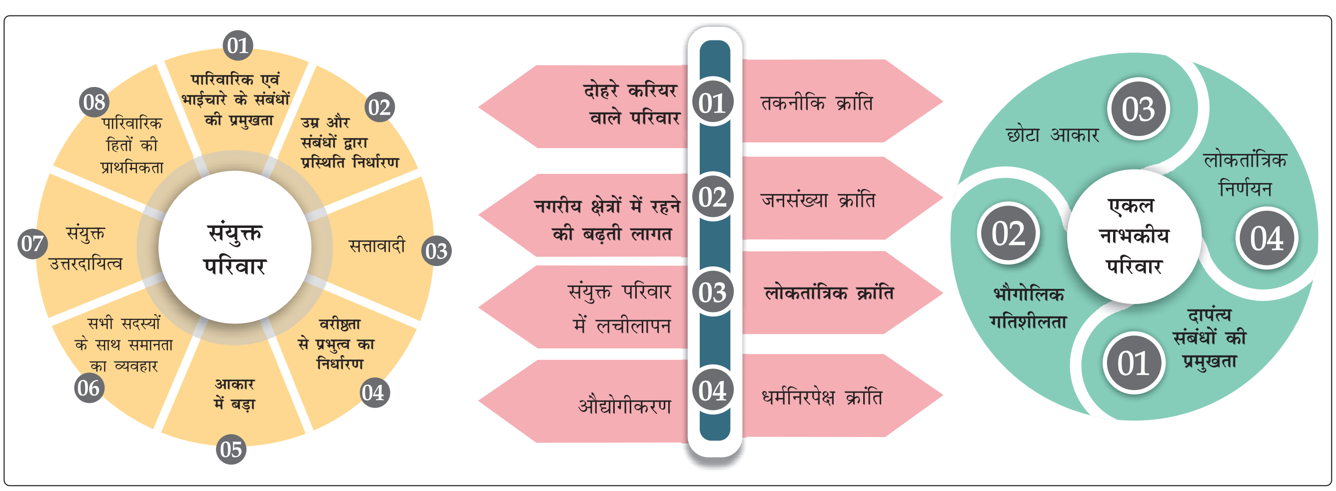

भारत में नातेदारी व्यवस्था (Kinship System in India)

मनुष्य समाज में अकेला नहीं रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेक लोगों से घिरा रहता है। वह उन सभी लोगों से बँधा हुआ है, जो रक्त या विवाह के आधार पर उससे संबंधित हैं। रक्त या विवाह का वह बंधन, जो लोगों को समूहों में एक साथ बाँधता है, नातेदार कहलाता है। इसके अलावा, रक्त संबंधों (वास्तविक और कथित) और विवाह से उत्पन्न होने वाले सामाजिक रिश्तों को सामूहिक रूप से नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है। नातेदारी प्रणाली बुनियादी सामाजिक संस्थाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। नातेदारी व्यवस्था सार्वभौमिक है और अधिकांश समाजों में व्यक्तियों के समाजीकरण और सामूहिक एकजुटता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदिम समाजों में यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है तथा उनकी लगभग सभी गतिविधियों - सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि पर अपना प्रभाव डालती है।

नातेदारी व्यवस्था में विविधता (Variations in Kinship System)

दक्षिण भारत	उत्तर भारत
• जन्म के परिवार (यानी अभिविन्यास का परिवार) और विवाह के परिवार (यानी प्रजनन का परिवार) क्रॉस-कजिन विवाह (cross cousin marriage) या अधिमान्य विवाह के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। • विवाह महिलाओं के अपने पिता के घर से अलग होने का प्रतीक नहीं है। • वधू देने वाला और वधू लेने वाला दोनों एक समान स्तर पर हैं।	• जन्म के/अभिविन्यास के परिवार (अर्थात् पिता, माता, भाई और बहन) का कोई भी सदस्य कन्या के विवाह वाले परिवार का सदस्य नहीं बन सकता है, लेकिन दक्षिण भारत में यह संभव है। • एक महिला अपने माता-पिता के परिवार में एक मेहमान/आगंतुक बन जाती है। • वधू देने वाले, वधू लेने वालों से निम्न समझे जाते हैं।

1.2.8 आदिवासी समाज

भारत की विविधतापूर्ण आबादी में एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा आदिवासी लोगों का है, जो इस भूमि के मूल निवासी हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति, उनकी परंपराएँ और प्रथाएँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लगभग सभी पहलुओं में व्याप्त हैं। भारत में जनजातीय लोगों को आदिवासी कहा जाता है। "आदिवासी" शब्द भारत की आदिवासी आबादी माने जाने वाले विविध जातीय और जनजातीय समूहों के लिए एक व्यापक शब्द है। हालाँकि वनवासी वनों में रहने वाले, या गिरिजन (पहाड़ी लोग) जैसे शब्द भी भारत की जनजातियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। आदिवासी का विशिष्ट अर्थ मूल निवासी होना है।

जनजातीय समाज की विशेषताएँ (Characteristics of Tribal Society)

- **निश्चित सामान्य स्थलाकृतिः** जनजातीय लोग एक निश्चित स्थलाकृति के भीतर रहते हैं और यह उस क्षेत्र में रहने वाली एक विशेष जनजाति के सभी सदस्यों के लिए एक समान स्थान है। एक साझा लेकिन निश्चित रहने के स्थान के अभाव में आदिवासी, जनजातीय जीवन की अन्य विशेषताएँ, जैसे आम भाषा, रहने का तरीका और सामुदायिक भावना आदि खो देंगे।
- **एकता की भावनाः** सच्चे आदिवासी जीवन के लिए एकता की भावना एक अनिवार्य आवश्यकता है। किसी जनजाति का अस्तित्व शांति और युद्ध के समय जनजाति की एकता की भावना पर ही निर्भर करता है।
- **अंतर्विवाही समूहः** जनजातीय लोग आमतौर पर अपनी जनजाति के बाहर शादी नहीं करते हैं और जनजाति के भीतर विवाह की बहुत सराहना और प्रसंशा की जाती है।
- **सामान्य बोलीः** किसी जनजाति के सदस्य एक समान बोली में अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। यह उनकी एकता की भावना को और मज़बूत करता है।
- **सुरक्षा जागरूकताः** जनजातीय लोगों को सदैव घुसपैठ और अतिक्रमण से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक एकल राजनीतिक संस्था की स्थापना की जाती है। सभी शक्तियाँ इस संस्था में निहित होती हैं।
- **समान संस्कृतिः** किसी जनजाति की समान संस्कृति उनकी एकता, समान भाषा, समान धर्म, समान राजनीतिक संगठन की भावना से उत्पन्न होती है।
- **नातेदारी का महत्वः** नातेदारी आदिवासी सामाजिक संगठन का आधार बनती है। अधिकांश जनजातियाँ बहिर्विवाही कुलों व वंशों में विभाजित हैं। आदिवासियों के मध्य विवाह आदिवासी अंतर्विवाह के नियम पर आधारित है। विवाह को एक अनुबंध के रूप में देखा जाता है, साथ ही तलाक और पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- **समतावादी मूल्यः** जाति व्यवस्था या लिंग आधारित असमानताओं जैसी कोई संस्थागत असमानताएँ नहीं हैं। इस प्रकार पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हालाँकि, उच्च सामाजिक प्रस्थिति, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और धनाड्य जनजातीय प्रमुखों या जनजातीय राजाओं के मामले में कुछ सामाजिक असमानता पाई जा सकती है।
- **धर्म की आदिम अवस्थाः** जनजातियाँ कुछ मिथकों और अल्पविकसित प्रकार के धर्म में विश्वास करती हैं।

1.2.9 कला एवं संस्कृति (Art and Culture)

भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकता को आमतौर पर "गंगा-जमुनी तहजीब" या भारत की समग्र संस्कृति वाक्यांश से दर्शाया जाता है। विविधता के बावजूद, ऐसे कई सांस्कृतिक तत्त्व

और कारक हैं, जिन्होंने भारत की समग्र संस्कृति को आकार दिया है और भारत को सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट बनाया है।

भारतीय संगीत

भारत की मिश्रित संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा संगीत है, विशेषकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इसकी उत्पत्ति प्राचीनकाल में मानी जाती है, फिर भी उत्तरी भारत के अत्यधिक विकसित और समृद्ध संगीत का उद्भव इस्लाम के योगदान और उसके संरक्षण के बिना संभव नहीं हो सका। ध्रुपद से ख्याल, पखावज/मृदंगम से तबले का उद्भव इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। भारतीय वीणा और फारसी तम्बूरे के विलय ने सितार को जन्म दिया। इसी तरह, गजलों और कव्वालियों ने भारतीय उप-महाद्वीप के लोगों को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

चित्रकारी

भारत के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित लोगों के जीवन का चित्रण, दरबारों से लेकर आदिवासी और स्थानीय लोककथाओं तक, भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की समृद्धि, विविधता और विशिष्टता को दर्शाता है। बिहार की मधुबनी, मंजूषा पेंटिंग से लेकर राजस्थान की राजपूत पेंटिंग, चोल साम्राज्य की तंजावुर पेंटिंग आदि संबंधित क्षेत्रों की जीवन-शैली, प्रमुख कार्यों, प्रथाओं आदि को चित्रित करती हैं। इसी प्रकार कठपुतली नृत्य, रंगमंच, नुक्कड़-नाटक, सर्कस आदि भारतीय जीवन की विविध शैली को प्रतिबिंबित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

साहित्यः भाषायी विरासत (Literature: Lingua Legacy)

विभिन्न भारतीय क्षेत्रों का भारत की समग्र संस्कृति में साहित्य और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए वेदों का विकास उत्तर-पश्चिम में; यजुर्वेद और ब्राह्मण का विकास कुरु-पांचाल क्षेत्र में; राजतरंगिणी का कश्मीर में; उपनिषदों का मगध में; गीत गोविंद का बंगाल में; चर्यापदों का ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में; महाकाव्य और कालिदास के नाटकों का विकास उज्जयिनी में हुआ। विदर्भ में भवभूत की रचनाएँ; दक्कन में दंडिन का दशकुमारचरित; दक्षिण में संगम साहित्य इत्यादि का विकास हुआ।

ये सभी ग्रंथ अपनी विविध भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के अनुसार विविध सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण करते हैं।

इसी प्रकार तक्षशिला, नालंदा, वाराणसी, वल्लभी, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, कांची, मदुरै और ओदंतपुरी भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये संस्थाएँ समाज में बौद्धिक क्रांति लाने का केंद्र रही हैं।

1.2.10 एक इकाई के रूप में भौगोलिक विविधता (Geography as a Unit of Diversity)

भारत, 3.28 मिलियन वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत एक विशाल देश है, जिसमें शुष्क रेगिस्तान, सदाबहार वन, ऊँचे पर्वत, बारहमासी और मौसमी नदी तंत्र, लंबे तट और उपजाऊ मैदान जैसी भौतिक विविधताएँ पाई जाती हैं।

विविधता के उपरोक्त वर्णित रूपों के अलावा, भारत में कई अन्य प्रकार की विविधताएँ भी हैं, जैसे कि आदिवासी, ग्रामीण और शहरी अधिवास प्रतिरूप, विवाह, धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर नातेदारी प्रारूप आदि।

1.2.11 दार्शनिक/वैचारिक विविधता (Philosophical/Ideological Diversity)

भारतीय दर्शन, भारतीय उप-महाद्वीप की दार्शनिक परंपराओं को संदर्भित करता है। वैदिक दर्शन की छह प्रमुख विचारधाराएँ - न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, साथ ही पाँच प्रमुख विधर्मी (श्रमणिक) विचारधाराएँ - जैन, बौद्ध, आजिविक, संदेहवाद और चार्वाक हैं।

भारतीय परंपराएँ विभिन्न दर्शनों की विचारधारओं को समाहित करती हैं, जो एक-दूसरे से काफी असहमती रखती हैं, जैसे रूढ़िवादी भारतीय दर्शन और हिंदू दर्शन की छह विचारधाराएँ।

भक्ति और सूफ़ी आंदोलनः भक्ति आंदोलन ने अलग-अलग धर्मों की पहचान को काफी हद तक समाप्त कर दिया और भारत की समन्वित संस्कृति में महान योगदान दिया। इसने हिंदू धर्म पर ब्राह्मणवादी प्रभाव के साथ-साथ इस्लाम में धार्मिक कट्टरता को करारी चोट पहुँचाई।

भक्ति संतों द्वारा प्रचारित मूल्य, सूफी संतों द्वारा प्रचारित समानता और भाईचारे के इस्लामी विचारों से मेल खाते हैं। इन संतों ने मिलकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता का आह्वान किया। विभिन्न भारतीय दर्शनों में विचारों, सिद्धांतों और प्रणालियों की इतनी विविधता है कि उनमें शामिल समान विशेषताओं को उजागर करना लगभग असंभव है।

1.2.12 सहिष्णुता, प्रेम और करुणा (Tolerance, Love and Compassion)

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अनुसार, बहुलवाद के प्रति सहिष्णुता, सभी के प्रति करुणा और मातृभूमि के प्रति प्रेम, भारतीय सभ्यता के आधारभूत मूल तत्त्व हैं। यहाँ सैकड़ों भाषाएँ और सभी प्रमुख धर्म एक प्रणाली के तहत रहते हैं।

हम जिस विविधतापूर्ण वातावरण में रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से